



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

फैक्स व दूरभाष: 0091-135-2744064  
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064  
Website/वेबसाइट: www.surveyofindia.gov.in  
E-Mail/ई-मेल: sgo@sancharnet.in



महासर्वेक्षक का कार्यालय  
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE  
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,  
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।  
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं० सी- 6359 /1979

दिनांक: 06 सितम्बर, 2013

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: विशिष्ट क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/मध्य क्षेत्र ।

निदेशक: ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा/उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश  
भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/मध्य प्रदेश  
भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/उड़ीसा भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/झारखण्ड  
भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक  
आंकड़ा केन्द्र/भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सुदूर संवदेन निदेशालय/पंजाब,  
हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र ।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन' (म०स०का०) ।

विषय: प्रवर श्रेणी लिपिकों के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति/तैनाती ।

निम्नलिखित अवर श्रेणी लिपिकों को प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर  
रूपये 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन ₹० 2400/- के वेतनमान में नियमित आधार पर पदोन्नति पर  
स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Smt. Ganga Devi	G&RB, Dehra dun	UK & West UPGDC, Dehra dun
2.	Smt. Usha Sharma	UK & West UPGDC, Dehra dun	G&RB, Dehra dun
3.	Shri Vipul Sharma	MA & DC, Dehra dun	SGO, Dehra dun
4.	Shri Munideo Ram (SC)	MP GDC, Jabalpur	MP GDC, Jabalpur
5.	Shri Subrat Dalei(SC)	Orissa GDC, Bhubaneshwar	Orissa GDC, Bhubaneshwar
6.	Shri Manoj Bist	SGO, Dehra dun	SGO, Dehra dun
7.	Shri Gopal Ravidas (SC)	Jharkhand GDC, Ranchi	Chattisgarh GDC, Raipur
8.	Shri Shanti Prasad	MA & DC, Dehra dun	MA & DC, Dehra dun
9.	Smt. Deepali Borthakur	Meg & A P GDC, Shillong	Meg & A P GDC, Shillong
10.	Shri Gara Prem Kumar	GIS & RSD, Hyderabad	GIS & RSD, Hyderabad
11.	Shri Gaurav Kumar	Pb, Hr. & Chd. GDC, Chandigarh	MA & DC, Dehra dun

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन  
आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

क्रमशः:.....2/-